न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—49 / 20 (2020 / 00077) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण आत्मज हरलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भैरूलाल आत्मज मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शिवलाल आत्मज मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—बद्रीलाल आत्मज मांगीलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लक्ष्मणलाल आत्मज रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गोपीलाल आत्मज उदेराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—पुष्पाकवंर पत्नि गिरधारीसिंह राजपुत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सोहन आत्मज कजोड़ कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लक्ष्मण आत्मज हरलाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—उदयसिंह आत्मज देवीसिंह राजपुत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—नन्दा आत्मज हीरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—किशना आत्मज हीरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 08.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1595 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1596 रकबा 0.24 है0 भूमि व प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1581 रकबा 0.20 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता रायपुर से गंगापुर जाने वाली संड़क से होकर आगे इस रोड़ के पश्चिम में बिलानाम गे.मु. रास्ता की आराजी संख्या 1532 में होकर आगे विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2139 / 1564 की उत्तरी पाली पर होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 1562 की उत्तरी पाली पर होकर व आगे प्रार्थी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 1561 की पश्चिमी पाली पर होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 4 की आराजी संख्या 1582 की उत्तरी मेड़ पर होकर प्रार्थी संख्या 1 नारायण, व दीपा नैनु आत्मज हरलाल व रामा आत्मज धुला व विपक्षी संख्या 5 लक्ष्मण की आराजी संख्या 1581 की उत्तरी पाली पर होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 6 उदयसिंह की आराजी संख्या 1580 की उत्तरी पाली पर होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 7 व 8 की आराजी संख्या 1579 की उत्तरी पाली पर होकर 15 फीट चोड़ाई में वर्षो पुराना होकर स्थित है। यही रास्ता पूर्व में सड़क नही थी तब तक रायपुर से परबती व आगे जाता था। उक्त रास्ता आज भी रास्तेनुमा आकृति में खुला हुआ है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगणो के खेतो का और कोई रास्ता मौजुद नही है। वर्तमान में यह रास्ता चालु है किन्तु प्रार्थीगण की फर्दन फर्दन खातेदारी होने से विपक्षीगण आये दिन इस रास्ते को बंद करने का उपक्रम करते है। जिससे इस रास्ते को बिलानाम रा[illegible] मे दर्ज कराया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:19:58 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन हेतु वर्षो पुराना रास्ता जो ग्राम केमुणिया की सीमा में स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 2139/1564 की उत्तरी पाली पर होकर फिर आगे आराजी संख्या 1562 की उत्तरी पाली पर होकर फिर आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1561 की पश्चिमी पाली पर होकर फिर बीच में होकर आगे आराजी संख्या 1582, 1581, 1580, 1579 की उत्तरी पालीयो पर होकर 15 फीट की चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता किस्म दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.05.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 4 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया एवं विपक्षी संख्या 3 की ओर अधिकार पत्र जाकिर हुसैन अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अपने जवाब में मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित कॉलम में सुझाया गया रास्ता आराजी नम्बर 2139/1564 की उत्तरी पाली तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उससे आगे दोनो तरफ उत्तरी ओर दक्षिण आराजियात से आधा आधा छुटा हुआ है आराजी संख्या 1561 पुष्पा कंवर के नाम दर्ज है लेकिन उक्त खसरा नम्बर का विक्रय प्रार्थीगण 2 व 3 के निष्पादित करवा दिया है जो अन्य आराजियात के साथ दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम के रूप में यह अंकित किया कि विपक्षी गोपी पिता उदा कुम्हार के खातेदारी आराजी नम्बर 1544, 1545, 1556 व 1562 अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड है प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये रास्ते के दक्षिण की दिशा में स्थित है उक्त खसरा नम्बर 1544, 1545, 1556 उत्तरी दिशा में स्थित है एंव आराजी नम्बर 1562 प्रस्तावित रास्ते से दक्षिण की तरफ स्थित है। खसरा नम्बर 1544, 1545, 1556 में आवागमन करने हेतु विपक्षी गोपीलाल की जमीन के सटमा नवीन खसरा नम्बर 1558 रकबा 0.05 है0 विपक्षी के भोग में होने से उक्त नम्बर पूर्व खातेदार गणेश उर्फ खेमा पिता भुरा कुम्हार के नाम दर्ज था जिसके साबिक नम्बर 331/1ग रकबा 14 बिस्वा जिसमें 1/2 हिस्सा बिल ऐवज 1250 रूपये मे दिनांक 19.09.1994 को जरिये इकरार के कय किया एवं 5 रूपये के स्टाम्प पर इकरार निष्पादित किया तब से उक्त खरीदशुदा रकबे पर विपक्षी गोपीलाल काबिज था एवं चारो तरफ पत्थरो की दिवार की हुई थी उक्त नम्बर विपक्षी ने अपनी आराजी संख्या 1544, 1545, 1556 में आवागमन करने के लिए कय की थी किन्तु प्रार्थी संख्या 2 व 3 ने खातेदार गणेश उर्फ खेमा से विक्रय पत्र अपने नाम करवाकर विपक्षी को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया और इस बाबत् न्यायालय में विपक्षी के विरूद्व धारा 188 का वाद पेश कर वाद के तहत् अर्न्तगत धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश न्यायालय से स्थगन जारी करवा लिया जिसके प्रकरण संख्या 36/18 होकर विचाराधीन है इस प्रकार प्रार्थीगण की सोची समझी साजिस से विपक्षी को परेशान किया जा रहा है। विपक्षी की आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1558 में बने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है खसरा नम्बर 1558 की पश्चिमी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक है विपक्षी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है विपक्षी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमावे। इसी के साथ विपक्षी कमांक 3 की ओर से अपने जवाब में अकंन किया कि आराजी संख्या 1561 विपक्षीया के द्वारा प्रार्थी दो ओर 3 के पक्ष में आराजी नम्बर 1561 मे से 0.43 है0 भूमि का बेचान कर विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2020 को निष्पादित करवा दिया गया है जिसमें से होकर आवागमन करे विपक्षी कमांक 3 की आराजी संख्या 1561 में शेष रकबा 0.33 है0 भूमि प्रार्थीगण किसी प्रकार के रास्ते के हकदार नही है प्रार्थी स्वयं अपनी कयशुदा भूमि में होकर आवागमन करे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व सव्यय खारीज फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:19:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि वादीगणो की भूमि ग्राम केमुणिया की आराजी नम्बर 1595 रकबा 0. 28 है0, 1596 रकबा 0.24 है0 1581 रकबा 0.20 मे आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 1532 गे.मु रास्ता से होकर 2139/1564, 1562 की उत्तरी सीमा 1561 की पश्चिमी पाली पर होते हुए उक्त आराजी के बीचों बीच दो भागो में उत्तर दक्षिण में विभाजित करते हुए आराजी नम्बर 1584, 1594, 1595, 1596 की दक्षिणी मेड़ पर मौके पर करीब 15—20 फीट चौड़ा रास्ता निकला हुआ है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। मौके पर उपरोक्त रास्ता चालु है। मौके पर उक्त विवादास्पद रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। वर्तमान में उक्त आराजी पर आवागमन हो रहा है।
वादीगणो द्वारा चाहा गया रास्ता प्रस्तावित किया गया जो निम्नानुसार है।

क्र. स.	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 मे	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा है0 मे	असिंचित पास की दर 52875 रू. प्रति बीघा की दर की दुगुनी राशि	खातेदार का नाम
1	2139/1564	0.19	0.0050	2700 रूपये	लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार
2	1562	0.82	0.0350	18900 रूपये	गोपी पिता उदा कुम्हार
3	1561	0.76	0.0550	29700	1. पुष्पा कंवर पत्नि गिरधारी सिंह चारण बाड़ी 2. भैरूलाल द्वारा क्रय कर रजिस्ट्री 0.43 है0 होना बताया
4	1595, 1596	0.28 0.24	0.0300 0.0300	32400 रूपये	वादीगणो के नाम
5	1582	0.22	0.0130	7020 रूपये	सोहन पिता कजोड़ कुम्हार
6	1581	0.20	0.0170	9180 रूपये	नारायण दीपा नेनु लक्ष्मण पिता हरलाल कुम्हार
7	1580	0.21	0.0150	8100 रूपये	उदयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
8	1579	0.16	0.0160	8640 रूपये	नन्दा किशना पिता हीरा कुम्हार

वर्तमान रास्ता हरे इंक से एवं जो रास्ता चाहते है उसे लाल स्याही से नक्शे में अकित किया गया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। क्र.स. 5 के आराजी क्रमांक 2 व 7 को छोड़कर शेष खातेदार रास्ता भूमि का मुआवजा नही लेना चाहते है तथा आराजी नम्बर 1562 के खातेदार अपनी अन्य खातेदारी आराजी नम्बर 1556, 1544, 1545 में जाने के लिये वादी की क्र.स. 2 भैरूलाल की आराजी नम्बर 1558 मे रास्ता देने में सहमत नही है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। इसी दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 भैरूलाल बनाम गोपीलाल विचाराधीन है उसको भी निस्तारित फरमावे। प्रकरण तलब करने पर दोनो अधिवक्ता इस बात पर सहमत हुए कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद 36/2018 को भी डिक्री फरमाया जावे जिस पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई और दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते की भूमि का कोई पक्ष मुआवजा नही लेगा और रास्ता दर्ज किये जाने मे किसी को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:19:58 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहे है उक्त भूमि में रास्ता मौके पर चालु है जिसको राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना एवं इसी के साथ विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को सवीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु निम्नानुसार आराजियात का रकबा रास्ते हेतु दर्ज किया जावे।

क्र. स.	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 मे	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा है0 मे	असिंचित पास की दर 52875 रू. प्रति बीघा की दर की दुगुनी राशि	खातेदार का नाम
1	2139 / 1564	0.19	0.0050	2700 रूपये	लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार से
2	1562	0.82	0.0350	18900 रूपये	गोपी पिता उदा कुम्हार से
3	1561	0.76	0.0550	29700	भैरूलाल शिवलाल पिता मांगीलाल कुम्हार से
4	1595, 1596	0.28 0.24	0.0300 0.0300	32400 रूपये	प्रार्थीगणो के नाम से
5	1582	0.22	0.0130	7020 रूपये	सोहन पिता कजोड़ कुम्हार से
6	1581	0.20	0.0170	9180 रूपये	नारायण दीपा नेनु लक्ष्मण पिता हरलाल कुम्हार से
7	1580	0.21	0.0150	8100 रूपये	उदयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत से
8	1579	0.16	0.0160	8640 रूपये	नन्दा किशना पिता हीरा कुम्हार से
9	1558	0.05	0.0180	9720 रूपये	भैरूलाल शिवलाल पिता मांगीलाल कुम्हार से

उक्त टेबल में वर्णित मुआवजा राशि के सम्बन्ध में पक्षकारान के आपसी समझोते अनुसार कोई भी पक्ष मुआवजा राशि का लेनदेन नही कर बिना मुआवजा के रास्ता दर्ज कराने मे सहमति देने से उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8·10·2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:19:58 IST
Reason: SelfAttested